

न्यायालय जिला न्यायाधीश, अयोध्या।

उपस्थित: रणंजय कुमार वर्मा (UP01908).. एच०जे०एस०

सिविल प्रकीर्ण वाद सं०-38/2024

[CNR No.: UPFZ010032772025]

प्रजेश कुमार तिवारी

बनाम

अंजू अग्रवाल

06.03.2026

निस्तारण प्रार्थनापत्र 6 ग अंतर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम :

1. पत्रावली प्रस्तुत। पत्रावली आज आदेशार्थ नियत है।
2. प्रार्थनापत्र 6 ग समर्थित शपथपत्र 7 ग अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम आवेदक की ओर से लघुवाद सं०-05/2015 अंजू अग्रवाल बनाम प्रजेश कुमार तिवारी में पारित एकपक्षीय निर्णयादेश दिनांकित 30.08.2023 के विरुद्ध प्रस्तावित लघुवाद निगरानी योजित करने में हुए विलम्ब को क्षमा किए जाने के आशय से प्रस्तुत किया गया है। आवेदक का प्रार्थनापत्र में कथन है कि प्रश्नगत निर्णयादेश एकपक्षीय रूप से पारित है। आवेदक को जब नोटिस प्रेषित की गयी थी, उस समय प्रश्नगत दुकान पर ताला लगा रहता था और इस कारण आवेदक को कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुयी और उसको उपरोक्त वाद के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं थी। प्रश्नगत निर्णयादेश की जानकारी आवेदक को जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में 05 तारीख को हुयी, जब वादिनी द्वारा प्रश्नगत दूकान खाली करने और बकाए किराए की माँग की गयी। उसके उपरान्त आवेदक ने वाद की पत्रावली का पता लगवाकर प्रश्नगत निर्णयादेश की प्रतिलिपि दिनांक 12.01.2024 को प्राप्त किया और प्रस्तावित निगरानी इस न्यायालय में योजित किया। आवेदक के अनुसार उसने निगरानी दाखिल करने में जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया है, कथित विलम्ब उपरोक्त कारणों से हुआ है। न्यायहित में प्रस्तावित लघुवाद निगरानी योजित करने में हुए कथित विलम्ब को क्षमा किए जाने की याचना आवेदक द्वारा की गयी है।
3. विपक्षी की ओर से नोटिस की तामीला के बावजूद कोई उपस्थित नहीं आया और न ही कोई आपत्तिपत्र उपरोक्त मियाद प्रार्थनापत्र के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया एवं पत्रावली का परिशीलन किया गया।
5. मुंसरिम आख्या के अनुसार प्रस्तावित निगरानी योजित करने में कुल 131 दिवस का विलम्ब कारित किया गया है। कथित विलम्ब का कारण निगरानीकर्ता/आवेदक ने प्रश्नगत निर्णयादेश एकपक्षीय रूप से पारित होने के कारण उसको वाद की जानकारी न होना बताया है। यह स्वीकृत तथ्य है कि मामले में पारित आलोच्य निर्णयादेश एकपक्षीय रूप से बिना प्रतिवादी/आवेदक के प्रतिवाद/साक्ष्य के आधार पर पारित है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी मामले का गुणदोष के आधार पर निस्तारण करना चाहिए, न कि तकनीकी आधारों पर। प्रार्थनापत्र में दर्शित कथित विलम्ब का कारण संतोषजनक प्रतीत होता है। तदनुसार प्रार्थनापत्र 6 ग स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थनापत्र 6 ग अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकृत किया जाता है। प्रस्तावित लघुवाद निगरानी योजित करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है।

तदनुसार यह प्रकीर्ण वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली दिनांक 11.03.2026 को अंगीरण पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत हो।

दिनांक: 06.03.2026

(रणंजय कुमार वर्मा)
जिला न्यायाधीश
अयोध्या।